

## संरक्षति क्षेत्र व्यवस्था पुनःस्थापति

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों से वदिशी घुसपैठ के कारण बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण मणपुर, मज़ोरम और नगालैंड में संरक्षति क्षेत्र व्यवस्था (PAR) को पुनः लागू कर दिया है।

- यह नरिणय वदिशी गतविधियों पर नज़र रखने तथा इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान पर सरकार के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है।

### संरक्षति क्षेत्र व्यवस्था क्या है?

- **PAR:** यह वदिशी (संरक्षति क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत स्थापति वनियमों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में वदिशी आगंतुकों को वनियमति करना है जिन्हें रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण या बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील माना जाता है, वशिष रूप से **पूर्वोत्तर राज्यों** और भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में।
- **PAR की मुख्य वशिषताएँ:**
  - **प्रतिबंधित प्रवेश:** वदिशियों को पूर्व सरकारी अनुमतिके बगैर PAR के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है।
    - इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिये उन्हें संरक्षति क्षेत्र परमिट (PAP) के लिये आवेदन करना होगा और उसे प्राप्त करना होगा, जो अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में वदिशी नागरिकों की आवागमन पर नज़र रखने की अनुमति देता है।
    - PAR द्वारा कवर किये गए क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने, या जातीय उन्माद, उग्रवाद या राजनीतिक अस्थिरता के कारण संवेदनशील माना जाता है।
  - **शथिलिता और पुनःस्थापन:** अतीत में कुछ क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये अस्थायी शथिलिता प्रदान की गई है, जैसे मणपुर, मज़ोरम और नगालैंड, जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2010 में PAR में शथिलिता दी गई थी।
    - हालाँकि, जब सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हुईं तो ऐसी छूट वापस ले ली गई, जैसा कि हाल ही में इन राज्यों में PAR को पुनः लागू करने के मामले में देखा गया।

### वदिशी (संरक्षति क्षेत्र) आदेश, 1958

- वदिशियों वशिषक अधिनियम, 1946 के अंतर्गत नरिणय वदिशी (संरक्षति क्षेत्र) आदेश, 1958 भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में वदिशियों के आवागमन के वनियमन के उद्देश्य से नरिमति एक प्रमुख नयामक ढाँचा है।
- इसमें 'इनर लाइन' को यथापरभाषति कया गया है, जो जम्मू-कश्मीर से मज़ोरम तक की सीमा है, जिसके आगे जाने के लिये वदिशी यात्रियों को वशिष परमिट लेना आवश्यक होता है।
  - **किसी राज्य की इनर लाइन और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा** के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षति क्षेत्र के रूप में परभाषति कया जाता है।
    - वदिशी नागरिक इन क्षेत्रों में केवल PAP के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। संरक्षति क्षेत्रों में संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, मणपुर, मज़ोरम, नगालैंड और सकिक्मि (आंशिक रूप से संरक्षति क्षेत्र और आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में सम्मलिति) शामिल हैं।
    - इसके अतरिकित, हमिाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हसिसों को संरक्षति क्षेत्र के रूप में अभहिति कया गया है।
  - **इनर लाइन और मूल जनजातियों के कबजे वाले इलाकों के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है।** इन क्षेत्रों में बनिा पूर्व अनुमति (**प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट**) के प्रवेश वरजति है।
    - प्रतिबंधित क्षेत्रों में संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केंद्रशासित प्रदेश और सकिक्मि राज्य का एक भाग शामिल है।

